राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार

संविदा पर नियुक्ति हेतु सूचना

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार (State Environment impact Assessment Authority) के कार्यालय में निम्नांकित पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के 21 दिनों के अन्दर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से ही राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वितीय तल, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना–800023 में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

क्र0सं0	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	अधिकतम उम्र (वर्ष)	मानदेय
01	लिपिक संख्या–01 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।	35	रू0 15000/– प्रतिमाह मानदेय अनुबंध के नवीकरण होने की स्थिति में 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान।
02	आशुलिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर संख्या–01 (अनारक्षित)	न्यूनतम इंटर उत्तीर्ण हिन्दी/अंग्रेजी आशुलेखन का पूर्ण ज्ञान (80 WPM) तथा टंकण का ज्ञान (30 WPM) कम्प्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान अनिवार्य।	35	रू0 12000/– प्रतिमाह मानदेय अनुबंध के नवीकरण होने की स्थिति में 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान।

प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के बाद में प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं साक्षात्कार की तिथि का प्रकाशन बेवसाईट- http://www.seiaabihar.org पर देखा जा सकता है।

चयन की प्रक्रियाः–

(1) उम्मीदवारों का चयन बिहार सरकार द्वारा निर्धारित समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी।

(2) जिन्हें समान कार्य का अनुभव होगा, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(3) आशुलिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर चयन के लिए आशुलेखन तथा कम्प्यूटर कार्य की परीक्षा ली जायेगी।

सेवा की शर्तेः–

(1) चयन के पश्चात 12 (बारह) महीनों के लिए संविदा पर नियोजन किया जायेगा।

(2) संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अनुबंध को अगले वित्तीय वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। असंतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में एक माह की नोटिस/मानदेय देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

(3) निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। परंतु क्षेत्रभ्रमण पर जाने पर वास्तविक यात्रा व्यय एवं अनुमान्य आवासन व्यय का भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में SEIAA का निर्णय अंतिम होगा।

(4) यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी होगा तथा भविष्य के लिए नियमित नियुक्ति का आधार नहीं बनेगा।

अध्यक्ष